# BULANDSHAHR POLICE

## दिनांक 27 फरवरी, 2025

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गब्बर पुत्र राजू निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2015 में थाना ककोड़ क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.06.2015 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 123/15 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 18.07.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.02.2025 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय एडीजे/ पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गब्बर को 05 वर्ष का कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सैल बुलन्दशहर।**